अध्याय—3

भाग–2

अध्याय–3

राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के कार्यकलाप (ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त)

प्रस्तावना

3.1 राज्य के 31 मार्च 2018 को 63 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (पी.एस.यू.) थे, जो कि ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त अन्य क्षेत्रों से संबंधित थे। राज्य के ये पी.एस.यू. 1925–26 तथा 2016–17 के मध्य गठित हुए एवं इनमें 60 सरकारी कंपनियां व तीन सांविधिक निगम अर्थात मध्य प्रदेश वित निगम (म.प्र.वि.नि.), मध्य प्रदेश वेयरहाउसिंग एवं लाजिस्टिक कारपोरेशन (म.प्र.वे.ला.का.) और अकार्यशील सांविधिक निगम जैसे मध्य प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम (म.प्र.रा.स.प.नि.) है। सन् 2017–18 तक छः सरकारी कंपनियों ने वाणिज्यिक गतिविधियॉ प्रारंभ नहीं की थी। इन सरकारी कम्पनियों में 15 अकार्यशील कंपनियां एवं 31 सहायक कम्पनियां, जिनका स्वामित्व अन्य सरकारी कम्पनियों के पास हैं, शामिल है। तीन[1] कम्पनियां वर्ष के दौरान जोड़ी गई थी।

इस प्रतिवेदन में राज्य के 63 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में से 38 उपक्रमों ***(परिशिष्ट–3.1)*** को शामिल किया गया है एवं इन सार्वजनिक उपक्रमों की प्रकृति तालिका 3.1 में दर्शाई गई है।

तालिका 3.1: इस प्रतिवेदन में शामिल उपक्रमों की प्रकृति व व्याप्ति

उपक्रमों की प्रकृति	कुल संख्या	इस प्रतिवेदन में शामिल उपक्रमों की संख्या				इस प्रतिवेदन में शामिल नहीं किए गए उपक्रमों की संख्या
		2017–18 तक के लेखे	वर्ष तक लेखे		योग	
			2016–17	2015–16		
सरकारी कंपनियां	60	17	14	05	36	24
सांविधिक निगम	03	02	–	–	02	01
कुल कंपनियां/ निगम	**63**	**19**	**14**	**05**	**38**	**25**
सरकारी नियंत्रण वाली अन्य कंपनियां	–	–	–	–	–	–
योग	**63**	**19**	**14**	**05**	**38**	**25**

इस प्रतिवेदन में वे 25 उपक्रम शामिल नही किये गये है जिनके लेखे तीन या उससे अधिक वर्षों के लिए बकाया थे अथवा निष्क्रिय/ परिसमापनाधीन थे अथवा प्रथम लेखे प्राप्त नहीं हुए या देय नही थे अथवा वर्ष 2017–18 तक वाणिज्यिक गतिविधियो का प्रारम्भ नहीं हुआ था, जो कि ***परिशिष्ट–3.2*** में दर्शित है।

राज्य शासन समय–समय पर अंशपूंजी, ऋण और अनुदान/ सब्सिडी के रूप में राज्य के सार्वजनिक उपक्रमों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है। राज्य शासन ने 47 कार्यशील राज्य सार्वजनिक उपक्रमों में से, केवल 25 सार्वजनिक उपक्रमों में निवेश किया। राज्य शासन द्वारा 22[2] कम्पनियों में कोई पूंजी निवेश नही किया गया, जो कि उपरोक्त राज्य उपक्रमों की संयुक्त उद्यम/ सहायक कम्पनियां है। इन 22 संयुक्त

---

1 म.प्र. होटल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, सिंगरौली एयरपोर्ट कंपनी लिमिटेड और म.प्र. टूरिज्म बोर्ड।

2 म. प्र. शा. द्वारा औ.के.वि.नि. (रीवा) को ₹ 0.71 करोड़ का ऋण और सं.र.ह.ह.वि.नि. को ₹ 0.02 करोड़ की अंशपूंजी दी गयी है।

उद्यमों/ सहायक कम्पनियों में संबंधित सहायक साझेदार/ धारक कम्पनियों द्वारा अंशपूजी का योगदान किया गया था।

राज्य की अर्थव्यवस्था में योगदान

3.2 इस प्रतिवेदन में शामिल 38 सार्वजनिक उपक्रमों के टर्नओवर और सकल राज्य घरेलू उत्पाद (स.रा.घ.उ.) का अनुपात, राज्य की अर्थव्यवस्था में उपक्रमों की गतिविधियों की मात्रा को दर्शाता है। मार्च 2018 को समाप्त होने वाले तीन वर्षो की अवधि के लिए राज्य के उपक्रमों (ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त) का टर्नओवर एवं मध्य प्रदेश की स.रा.घ.उ. का विवरण तालिका 3.2 में दिया गया है।

तालिका 3.2: मध्य प्रदेश की स.रा.घ.उ. की तुलना में राज्य के उपक्रमों (ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त) का टर्नओवर का विवरण

(₹ करोड़ में)

विवरण	2015–16	2016–17	2017–18
टर्नओवर	21,623.72	15,499.77	15,651.26
विगत वर्ष के टर्नओवर की तुलना में टर्नओवर में अंतर का *प्रतिशत*	–	–28.32	0.98
मध्य प्रदेश का स.रा.घ.उ.	5,30,442.61	6,39,219.67	7,07,046.99
विगत वर्ष के स.रा.घ.उ. की तुलना में स.रा.घ.उ. में अंतर का *प्रतिशत*	10.48	20.51	10.61
टर्नओवर का मध्य प्रदेश के स.रा.घ.उ. में *प्रतिशत*	4.08	2.42	2.21

***स्रोतः** कार्यशील उपक्रमों (ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त) के टर्नओवर आंकडों के आधार पर और स.रा.घ.उ. के आंकडे म.प्र.शा. की आर्थिक समीक्षा 2017–18 के अनुसार संकलित ।*

इन 38 सार्वजनिक उपक्रमों का टर्नओवर वर्ष 2016–17 के दौरान कम हुआ, पर 2017–18 के दौरान इसमें थोडी वृद्धि हुई। 2015–18 की अवधि के दौरान टर्नओवर में कमी/ वृद्धि (–) 28.32 *प्रतिशत* एवं 0.98 *प्रतिशत* के मध्य रही, जबकि इसी अवधि के दौरान राज्य की स.रा.घ.उ. में वृद्धि 10.48 *प्रतिशत* एवं 20.51 *प्रतिशत* के मध्य रही। स.रा.घ.उ. का पिछले तीन वर्षो का वार्षिक चक्रवृद्धि विकास[3] 10.05 *प्रतिशत* था। वार्षिक चक्रवृद्धि विकास, विभिन्न समयावधियों में विकास दर को मापने की उपयोगी पद्धति है। पिछले तीन वर्षो के दौरान स.रा.घ.उ. के 10.05 *प्रतिशत* के वार्षिक चक्रवृद्धि विकास के विरूद्ध गैर–ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों के टर्नओवर द्वारा (–) 10.21 *प्रतिशत* की नकारात्मक वार्षिक चक्रवृद्धि विकास दर्ज की गई। इसके परिणामस्वरूप स.रा.घ.उ. में इन उपक्रमों के टर्नओवर की हिस्सेदारी वर्ष 2015–16 के 4.08 *प्रतिशत* से घटकर वर्ष 2017–18 में 2.21 *प्रतिशत* हो गई।

राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में निवेश (ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त)

3.3 राज्य के 38[4] सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में 31 मार्च 2018 तक अंशपूंजी व दीर्घावधि ऋण में निवेश का विवरण ***परिशिष्ट–3.3*** में दिया गया है।

इस प्रतिवेदन में शामिल सार्वजनिक उपक्रम निम्नलिखित तीन श्रेणियों में आते है :–

1. वे उपक्रम जो खुले बाजार की प्रतिस्पर्धा में नहीं है (एकाधिकार उपक्रम): मध्य प्रदेश में 38 शामिल उपक्रमों में से तीन[5] उपक्रम इस श्रेणी में आते है क्योकि उनके परिचालन एकाधिकार/ अल्पाधिकार प्रकृति के है, अर्थात उनके परिचालन में कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है या बहुत कम प्रतिस्पर्धा हैं।

---

[3] वार्षिक चक्रवृद्धि विकास दर [{(2017–18 की राशि/ 2015–16 की राशि)^(1/3 वर्ष)}-1]*100 ।

[4] कुल 63 सरकारी उपक्रम–21 सरकारी उपक्रम जिनके तीन या अधिक वर्ष के लेखे बकाया थे अथवा निष्क्रिय/ परिसमापनाधीन थे या प्रथम लेखे प्राप्त नहीं हुए या देय नही थे।

[5] म. प्र. राज्य वन विकास निगम लिमिटेड, म.प्र. जल निगम मर्यादित और म. प्र. राज्य खनन निगम लिमिटेड।

2. सुनिश्चित आय वाले उपक्रम :– इस श्रेणी में वे उपक्रम शामिल है जिनकी मुख्य आय, आय के सुनिश्चित स्रोतो से आती है जैसे कि सरकारी अनुदान/ सब्सिडी, सेंटेज, कमीशन, बैंक जमा पर ब्याज आदि। इस श्रेणी के अर्न्तगत 31 उपक्रम आते है।

3. प्रतिस्पर्धात्मक श्रेणी के उपक्रम :– इस श्रेणी में चार[6] उपक्रम शामिल है जो कि बाजार की प्रतिस्पर्धी के लिए खुले है।

3.4 राज्य के इन उपक्रमों में 31 मार्च 2018 को क्षेत्रवार निवेश सारांश तालिका 3.3 में दिया गया है :–

तालिका 3.3 : राज्य के उपक्रमों में क्षेत्रवार निवेश (ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त)

क्षेत्र	उपकमों की संख्या	निवेश (₹ करोड़ में)						
		अंशपूंजी			दीर्घावधि ऋण			योग
		म.प्र.स.	भा.स.	अन्य[7]	म.प्र.स.	भा.स.	अन्य	
एकाधिकार क्षेत्र उपक्रमों की संख्या	03	140.13	1.39	0.00	0.00	0.00	0.00	141.52
सुनिश्चित आय उपक्रमों की संख्या	31	76.33	1.87	1,041.62	1,783.09	0.00	891.76	3,794.67
प्रतिस्पर्धात्मक श्रेणी के उपक्रमो की संख्या	04	497.67	0.00	85.22	0.00	0.00	868.33	1,451.22
उपक्रम जो इस प्रतिवेदन में शामिल नहीं हैं	25	268.76	42.53	91.68	895.33	0.00	33.90	1,332.20
योग	**63**	**982.89**	**45.79**	**1,218.52**	**2,678.42**	**0.00**	**1,793.99**	**6,719.61**

स्रोतः *सार्वजनिक उपक्रमों के वार्षिक खातों और पूंजी तथा ऋण के लिए अनुमोदन/भुगतान आदेश के आधार पर संकलित।*

31 मार्च 2018 को, इस प्रतिवेदन में शामिल 38 उपक्रमों में कुल निवेश (अंशपूंजी एवं दीर्घावधि ऋण) का अंकित मूल्य[8] ₹ 5,387.41 करोड़ था। निवेश में 34.23 *प्रतिशत* अंशपूंजी एवं 65.77 *प्रतिशत* दीर्घावधि ऋण सम्मिलित है। राज्य शासन द्वारा दिये गये दीर्घावधि ऋण, कुल दीर्घावधि ऋण के 50.17 *प्रतिशत* (₹ 1,783.09 करोड़) जबकि अन्य वित्तीय संस्थाओं जैसे हुडको, सिडबी का दीर्घावधि ऋण 49.83 *प्रतिशत* (₹ 1,760.09 करोड़) था।

निवेश 2015–16 के ₹ 8,103.05 करोड से 33.51 *प्रतिशत* घटकर 2017–18 में ₹ 5,387.41 करोड़ रह गया। निवेश में गिरावट 2015–16 से 2017–18 के दौरान पूंजी और ऋण में क्रमशः ₹ 1,041.28 करोड़ की बढोत्तरी और ₹ 3,756.92 की कमी के कारण हुई।

राज्य के उपक्रमों का विनिवेश, पुर्नसंरचना एवं निजीकरण (ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त)

3.5 राज्य शासन द्वारा वर्ष 2017–18 के दौरान राज्य के उपक्रमों में कोई विनिवेश, पुर्नसंरचना एवं निजीकरण नहीं किया गया।

राज्य के उपक्रमों को बजटीय सहायता (ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त)

3.6 मध्य प्रदेश शासन द्वारा वार्षिक बजट के माध्यम से विभिन्न रूपों में राज्य के उपक्रमों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराती है। मार्च 2018 को समाप्त होने वाले

[6] म.प्र.रा.प.वि.नि.लि., म.प्र.जे.पी. मिनरल्स., म.प्र. होटल कॉर्पोरेशन लि. और म.प्र.वि.नि.।
[7] अन्य में धारक कंपनियों, वित्तीय संस्थाओं, बैंको आदि का निवेश शामिल है।
[8] अंशधारक द्वारा अंशपूंजी के लिए भुगतान किया गया वास्तविक लागत मूल्य।

पिछले तीन वर्षों के लिए, राज्य के उपक्रमों के संबंध में अंशपूंजी, ऋण, अनुदान/ सब्सिडी, अपलिखित ऋण एवं वर्षों के दौरान अंशपूंजी में परिवर्तित किए गए ऋण के बजटीय बहिर्गमन का विवरण तालिका 3.4 में दर्शित है:–

तलिका 3.4 :– वर्षों के दौरान राज्य के उपक्रमों को बजटीय सहायता का विवरण (ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त)

(₹ करोड़ में)

विवरण [9]	2015–16		2016–17		2017–18	
	सरकारी उपक्रमों की संख्या	राशि	सरकारी उपक्रमों की संख्या	राशि	सरकारी उपक्रमों की संख्या	राशि
अंश पूंजी बहिर्गमन (i)	3	20.52	4	110.58	1	25.00
प्रदत्त ऋण (ii)	2	256.28	3	310.47	3	273.50
प्रदत्त अनुदान/सब्सिडी (iii)	12	794.48	17	1,831.26	19	1,306.72
कुल निगमन (i+ii+iii)	15	1,071.28	21	2,252.31	21	1,605.22
अपलिखित ऋण	-	-	-	-	-	-
पूंजी में परिवर्तित ऋण	-	-	-	-	-	-
बकाया गारंटी	4	1,327.00	5	1,737.68	6	313.17
गारंटी दायित्व	4	1,405.99	5	1,727.80	6	1,129.11

स्रोतः *सार्वजनिक उपक्रमों के वार्षिक खातों और पूंजी तथा ऋण के लिए अनुमोदन/ निस्तारण आदेश के आधार पर संकलित।*

मार्च 2018 को समाप्त होने वाले पिछले तीन वर्षों के लिए अंशपूंजी, ऋण, अनुदान/ सब्सिडी के रूप में बजटीय बहिर्गमन का विवरण चार्ट 3.1 में दिया गया है।

चार्ट 3.1 अंशपूंजी, ऋण, अनुदान/ सब्सिडी के रूप में बजटीय बहिर्गमन

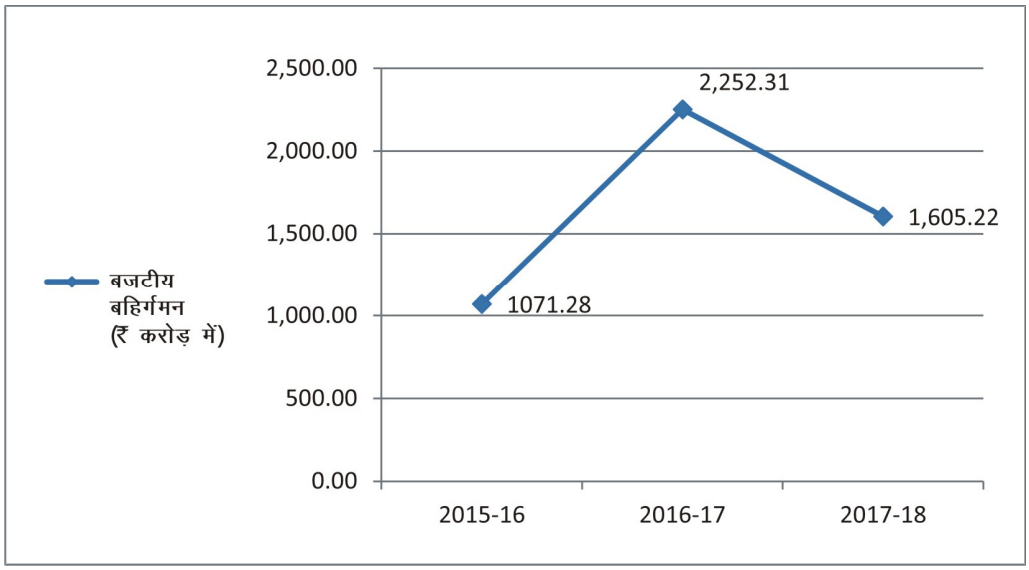

वर्ष 2015–16 से 2017–18 की अवधि के दौरान, इन सार्वजनिक उपक्रमों को प्राप्त बजटीय सहायता ₹ 1,071.28 करोड़ से ₹ 2,252.31 करोड़ के मध्य थी। वर्ष 2017–18 के दौरान ₹ 1,605.22 करोड़ की बजटीय सहायता में अंशपूंजी, ऋण व अनुदान/ सब्सिडी क्रमशः ₹ 25 करोड़, ₹ 273.50 करोड़ व ₹ 1,306.72 करोड़ थी। राज्य शासन

[9] राशि केवल राज्य बजट से बहिर्गमन को ही दर्शाती है।

द्वारा दी गई अनुदान/ सब्सिडी प्राथमिक रूप से औद्योगिक इन्फ्रास्ट्रक्चर, निवेश को बढ़ावा देने एवं स्मार्ट शहरो के विकास के लिये थे।

मध्य प्रदेश शासन, बैंकों एवं वित्तीय संस्थाओं से वित्तीय सहायता लेने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को मध्य प्रदेश शासन गारण्टी नियम (म.प्र.शा.गा.नि.) 2009 के तहत गारण्टी प्रदान करती है। शासन ने म.प्र.शा.गा.नि. के प्रावधानो के तहत बिना किसी अपवाद के बैंको/ वित्तीय संस्थानों से उपक्रमों द्वारा लिए गए ऋण के मामले में प्रतिवर्ष आधे *प्रतिशत* से एक *प्रतिशत* की दर से गारण्टी कमीशन वसूलने का निर्णय (फरवरी 2011) किया। वर्ष 2017–18 में बकाया गारण्टी प्रतिबद्धताऐं ₹ 1,129.11 करोड़ थी। वर्ष 2017–18 के दौरान उपक्रमों (ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त) द्वारा गारण्टी कमीशन का कोई भी भुगतान नहीं किया गया था।

मध्य प्रदेश के वित्त लेखों के साथ मिलान

3.7 अंशपूंजी, ऋण एवं बकाया गारण्टियों के संबंध में राज्य उपक्रमों के अभिलेखों के आंकडे, मध्य प्रदेश शासन के वित्त लेखों से मिलान होने चाहिए। आंकडों का मिलान न होने की स्थिति में संबंधित उपक्रमों एवं वित विभाग को अंतर का मिलान करना चाहिए। इस संबंध में 31 मार्च 2018 की स्थिति तालिका 3.5 में दी गई है:–

तलिका 3.5 : मध्य प्रदेश शासन के वित्त लेखों की तुलना में राज्य के सरकारी उपक्रमों (ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त) के लेखों के अनुसार पूंजी, बकाया ऋण और प्रत्याभूति

(₹ करोड़ में)

बकाया का मद	वित्त लेखों के अनुसार राशि	राज्य के सरकारी उपक्रमों के लेखो के अनुसार राशि	अंतर
पूंजी	565.31	633.36	68.50
ऋण	1,416.58	1,502.94	86.36
गाारंटी	873.24	1,129.11	255.87

स्रोत: *सरकारी उपक्रमों से प्राप्त जानकारी और वित्त लेखों के आधार पर संकलित ।*

लेखापरीक्षा ने पाया कि 63 उपक्रमों में से 26 उपक्रमों के संबंध में इस प्रकार का अन्तर है जो ***परिशिष्ट 3.4*** में दिया गया है। आंकडो में अन्तर विगत कई वर्षो से है। मिलान में अन्तर के मुद्दे को उपक्रमों एवं विभागों के साथ समय–समय पर उठाया जाता रहा है। मुख्य रूप से अन्तर मध्य प्रदेश ट्रेड एवं इन्वेस्टमेंट फेसिलिटेशन कारपोरेशन लिमिटेड के शेषों में पाया गया। इसलिए, हम अनुशंसा करते है कि राज्य शासन एवं संबंधित उपक्रमों को अंतर का समयबद्ध रीति से समायोजन करना चाहिए।

राज्य उपक्रमों द्वारा लेखों का प्रस्तुतीकरण (ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त)

3.8 31 मार्च 2018 को कुल 63 राज्य उपक्रमों में से 47 कार्यशील अर्थात 45 सरकारी कम्पनियां व दो सांविधिक निगम थें तथा 16 अकार्यशील उपक्रम अर्थात 15 सरकारी कम्पनियां व एक सांविधिक निगम सीएजी के दायरे में थे। राज्य उपक्रमों द्वारा लेखों की तैयारी में उपक्रमों द्वारा निर्धारित समयसीमा के पालन की स्थिति निम्नानुसार है:

राज्य उपक्रमों द्वारा लेखे तैयार करने में समयबद्धता

3.8.1 वर्ष 2017–18 के लिए सभी कार्यशील उपक्रमों द्वारा 30 सितम्बर 2018 तक लेखे प्रस्तुत किये जाने थे। तथापि, 63 सरकारी कम्पनियों में से 28 सरकारी कम्पनियों ने वर्ष 2017–18 के लेखे सीएजी की लेखापरीक्षा के लिए 31 दिसम्बर 2018 अथवा उससे पूर्व प्रस्तुत किए, जबकि 35 सरकारी कम्पनियों के लेखे बकाया थें।

31 दिसम्बर 2018[10] को राज्य उपक्रमों (ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त) के लेखों के बकाया का विवरण तालिका 3.6 में दिया गया है:–

तालिका 3.6: राज्य उपक्रमों द्वारा लेखें प्रस्तुत करने की स्थिति (ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त)

विवरण		सरकारी कम्पनियाँ / सरकारी नियंत्रण वाली अन्य कम्पनियाँ / सांविधिक निगम			
		सरकारी कम्पनिया	सरकारी नियंत्रण वाली अन्य कम्पनियाँ	सांविधिक निगम	योग
31.03.2018 को सीएजी की लेखापरीक्षा के अधीन सरकारी उपक्रमों की संख्या		60	–	03	63
घटाएँ: सरकारी उपक्रम जिनके 2017–18 के लेखे देय नहीं हुए थे		–	–	–	–
सरकारी उपक्रम जिनके 2017–18 के लेखे देय हो गए थे		60	–	03	63
सरकारी कम्पनियो की संख्या जिन्होने 31 दिसंबर 2018 तक सीएजी की लेखापरीक्षा हेतु लेखे प्रस्तुत किए		26	–	02	28
बकाया लेखों की संख्या		173	–	10	183
घटक–वार बकाया	**(i) परिसमापनाधीन**	56	–	0	56
	(ii) अकार्यशील	34	–	10	44
	(iii) प्रथम लेखे अप्राप्त	31	–	0	31
	(iv) अन्य	52	–	0	52
'अन्य' श्रेणी के बकाया का आयु वार विवरण	**एक वर्ष (2017–18)**	16	–	0	16
	दो वर्ष (2016–17 और 2017–18)	12	–	0	12
	तीन वर्ष व अधिक	24	–	0	24

प्रशासनिक विभागों के पास इन संस्थाओं की गतिविधियों की देखरेख करने और इन उपक्रमों द्वारा निर्धारित अवधि में लेखो को अंतिम रूप दिया जाना व अंगीकृत किया जाना सुनिशिचित करने की जिम्मेदारी है। संबंधित विभागों को लेखों के बकाया के संबंध में नियमित रूप से सुचित किया गया था।

म. प्र. शासन द्वारा 27 कार्यशील राज्य उपक्रमों में से 11 उपक्रमों को ₹ 1,431.94 करोड़ (अंशपूंजी: ₹ 10.03 करोड़, ऋण: ₹ 53.08 करोड़, अनुदान: ₹ 375.81 करोड़ एवं सब्सिडी: ₹ 993.02 करोड़) प्रदान किए गए जिनके लेखों को 31 दिसम्बर 2018 तक अन्तिम रूप नहीं दिया गया था, जबकि बचे हुए 16 उपक्रमों में लेखे बकाया रहने की अवधि के दौरान कोई निवेश नही किया गया था। उन वर्षो के दौरान राज्य शासन द्वारा, जिसमें उपक्रमों के लेखे बकाया थे, किए गए निवेश का उपक्रमवार ब्यौरा ***परिशिष्ट 3.5*** में दर्शित है।

[10] वर्ष 2015–16, 2016–17 और 2017–18 के लिए 31 दिसम्बर तक प्राप्त लेखे मान्य किए गए है।

लेखों के अंतिमीकरण एवं उनकी अनुवर्ती लेखापरीक्षा के अभाव में शेष 35 उपक्रमों में, यह सुनिश्चित नहीं किया जा सका कि निवेश एवं व्यय सही रूप से लेखांकित किए गए एवं निधि का उपयोग उसी उद्देश्य के लिए किया गया था जिसके लिए वे राज्य शासन द्वारा प्रदान किए गए थे।

अकार्यशील राज्य उपक्रमों का समापन

3.9 31 मार्च 2018 को राज्य के उपक्रमों में 16 अकार्यशील कम्पनियां थी जिनमें कुल ₹ 793.34 करोड़ का निवेश पूंजी (₹ 116.16 करोड़) व दीर्घावधि ऋण (₹ 677.18 करोड़) के रूप में था, जो कि मुख्यतः– मध्य प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम (₹ 683.31 करोड़), म.प्र.राज्य वस्त्रोद्योग निगम लिमिटेड़ (₹ 86.71 करोड़) एवं आप्टेल टेलीकम्यूनिकेशन लिमिटेड़ (₹ 17.12 करोड़) दीर्घावधि में था। 31 मार्च 2018 को समाप्त विगत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष के अन्त में अकार्यशील उपक्रमों की संख्या तालिका 3.7 में नीचे दी गई है।

तालिका 3.7: राज्य के अकार्यशील उपक्रम

विवरण	2015–16	2016–17	2017–18
अकार्यशील सरकारी उमक्रमों की संख्या	9	17	16
उपरोक्त में से, परिसमापनाधीन सरकारी उमक्रमों की संख्या	4	4	4

स्रोतः *संबन्धित वर्ष के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (पी.एस.यू), म.प्र. शासन में शामिल जानकारी से संकलित व* ***परिशिष्ट 3.2*** *में दिये गये।*

सरकार, पिछले छः से 28 वर्षों[11] तक अकार्यशील रहे 12 उपक्रमों के संबंध में समापन संबंधी उचित निर्णय ले सकती है।

राज्य उपक्रमों द्वारा लेखों का अंतिमीकरण न किए जाने के प्रभाव (ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त)

3.10 जैसा कि *कंडिका 3.8* में इंगित है, लेखों के अंतिमीकरण में विलम्ब संबंधित विधानों के प्रावधानों के उल्लंघन के साथ–साथ कपट एवं लोक धन में रिसाव के जोखिम के रूप में भी परिणत हो सकता है। उपर्युक्त लेखों के बकाया की स्थिति को देखते हुए उपक्रमों की 2017–18 में अर्जित लाभ व वहन की गई हानि को सम्मिलित करते हुए लाभप्रदता व राज्य की जी.डी.पी. में उनके वास्तविक योगदान का पता नही लगाया जा सका और राजकोष में उनका योगदान राज्य विधानसभा को भी प्रतिवेदित नही किया गया।

इसलिए यह अनुशंसा की जाती है कि प्रशासनिक विभागों द्वारा लेखों के बकाया को कम करने हेतु कडाई से निगरानी एवं आवश्यक दिशा निर्देश जारी करने चाहिए। शासन, उपक्रमों के लेखे तैयार करने में आने वाली दिक्कतों को देख सकता है एवं बकाया को कम करने हेतु उचित कदम उठा सकता है।

सांविधिक निगमों की पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का प्रस्तुतीकरण

3.11 तीन सांविधिक निगमों में से दो ने उनके वर्ष 2017–18 के लेखे 31 दिसम्बर 2018 तक अग्रेषित किये।

[11] ***परिशिष्ट 3.2*** में क्र. सं. III अ 10 से III अ 20 एवं III ब 21 पर दर्शित कंपनियाँ ।

पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (एसएआर), सांविधिक निगमो के लेखों पर सीएजी का लेखापरीक्षा प्रतिवेदन हैं। ये प्रतिवेदन संबंधित अधिनियमों के प्रावधानों के अनुसार विधायिका के समक्ष प्रस्तुत किये जाते हैं। सांविधिक निगमो की वार्षिक लेखो की स्थिति एवं उनके एसएआर के विधानसभा पटल पर रखे जाने की स्थिति तालिका 3.8 में वर्णित है।

तालिका 3.8: सांविधिक निगमों के एस.ए.आर. विधानसभा पटल पर रखे जाने की स्थिति

निगम का नाम	लेखों का वर्ष	एसएआर की प्रस्तुति का माह
मध्य प्रदेश राज्य वेयरहाउसिंग एवं लॉजिस्टिक्स निगम	2016–17	एसएआर दिसंबर 2018 में जारी पर प्रस्तुत नहीं
	2017–18	अंतिमीकरण शेष
मध्य प्रदेश वित्त निगम	2016–17 और 2017–18	अंतिमीकरण शेष
मध्य प्रदेश राज्य सडक परिवहन निगम	2007–08	कोई जानकारी प्रस्तुत नही की
	2008–09 से आगे	अंतिमीकरण शेष

स्रोत: *मध्य प्रदेश विधानसभा की वैबसाइट पर उपलब्ध जानकारी के आधार पर संकलित ।*

राज्य उपक्रमों का निष्पादन (ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त)

3.12 इस प्रतिवेदन में शामिल 38 राज्य उपक्रमों की 31 दिसम्बर 2018 तक उनके नवीनतम अंतिम लेखों[12] के अनुसार वित्तीय स्थिति और कार्य परिणाम ***परिशिष्ट 3.1*** में वर्णित है।

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से राज्य शासन द्वारा इन उपक्रमों में किए गए निवेश पर उचित प्रतिफल प्रदान करना अपेक्षित है। इन उपक्रमों में राज्य शासन व अन्यों की अंशपूंजी का ₹ 1,844.23 करोड़ व दीर्घावधि ऋण का ₹ 3,543.18 करोड़ को शामिल करते हुए कुल निवेश ₹ 5,387.41 करोड था। इसमें से मध्य प्रदेश शासन का अंशपूंजी का ₹ 714.13 करोड़ व दीर्घावधि ऋण का ₹ 1,783.09 करोड़ को शामिल करते हुए 18 उपक्रमों में कुल निवेश ₹ 2,497.22 करोड़ है।

इस प्रतिवेदन में शामिल सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त, में 2015–16 से 2017–18 की अवधि के दौरान मध्य प्रदेश शासन का वर्षवार निवेश का विवरण नीचे दिया गया है :

[12] वर्ष 2015–16 से 2017–18 के नवीनतम अंतिमीकृत लेखे।

चार्ट 3.2: मध्य प्रदेश शासन का सरकारी उपक्रमों (ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त) में कुल निवेश

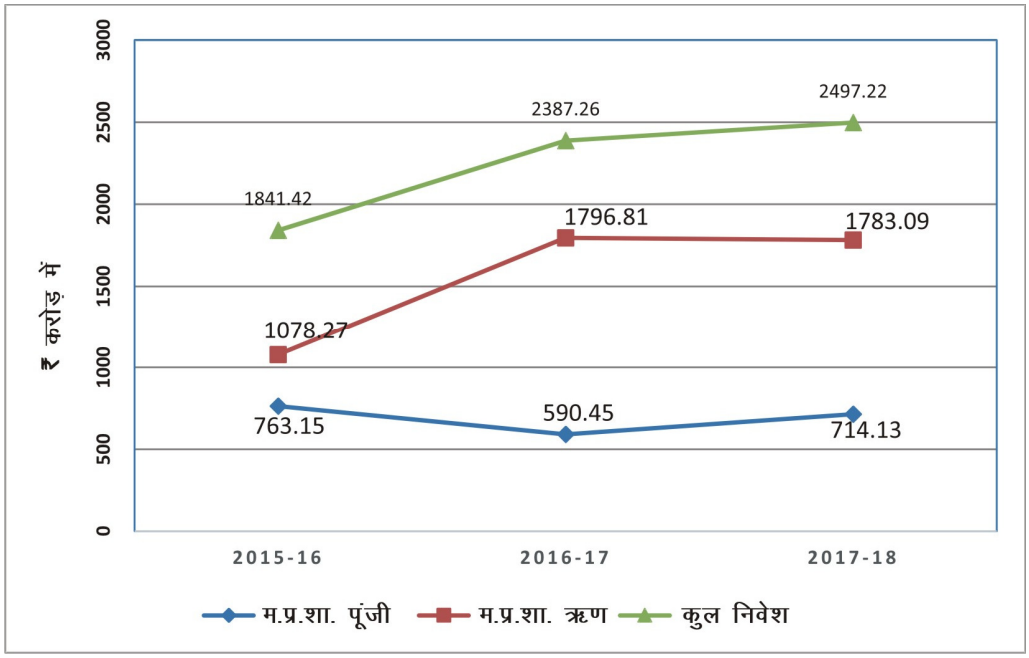

किसी कम्पनी की लाभप्रदता का आंकलन पारंपरिक रूप से निवेश पर प्रतिफल (आर.ओ.आई.), अंशपूंजी पर प्रतिफल (आर.ओ.ई.) और नियोजित पूंजी पर प्रतिफल (आर.ओ.सी.ई.) के माध्यम से किया जाता है। निवेश पर प्रतिफल, एक निश्चित वर्ष हुए लाभ अथवा हानि को अंशपूंजी एवं दीर्घावधि ऋण के रूप में संबंधित निवेश को मापता है एवं इसे कुल निवेश पर लाभ को *प्रतिशत* के रूप में व्यक्त करता है । अंशपूंजी पर प्रतिफल, निष्पादन का एक माप है जो कि करों के बाद प्राप्त शुद्ध लाभ को और अंशधारकों की निधि से विभाजित करके गणना की जाती है । नियोजित पूंजी पर प्रतिफल, एक वित्तीय अनुपात है जो कि कम्पनी की लाभप्रदता एवं उस दक्षता जिससे उसकी पूंजी का उपयोग किया गया है, को मापता है तथा जिसकी गणना कम्पनी के ब्याज एवं करो से पूर्व के लाभ को नियोजित पूंजी द्वारा विभाजित करके की जाती है।

निवेश पर प्रतिफल

3.13 निवेश पर प्रतिफल लाभ अथवा हानि का कुल निवेश से *प्रतिशत* है। इस प्रतिवेदन में शामिल 38 राज्य उपक्रमों द्वारा वर्ष 2015–16 से 2017–18 के दौरान अर्जित लाभ/ वहन की गई हानि[13], की समग्र स्थिति चार्ट में नीचे दर्शायी गई है।

[13] आंकड़े संबन्धित वर्ष के नवीनतम अंतिमीकृत लेखों के अनुसार ।

चार्ट 3.3: कार्यशील उपक्रमों (ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त) द्वारा अर्जित लाभ/ वहन की गई हानि

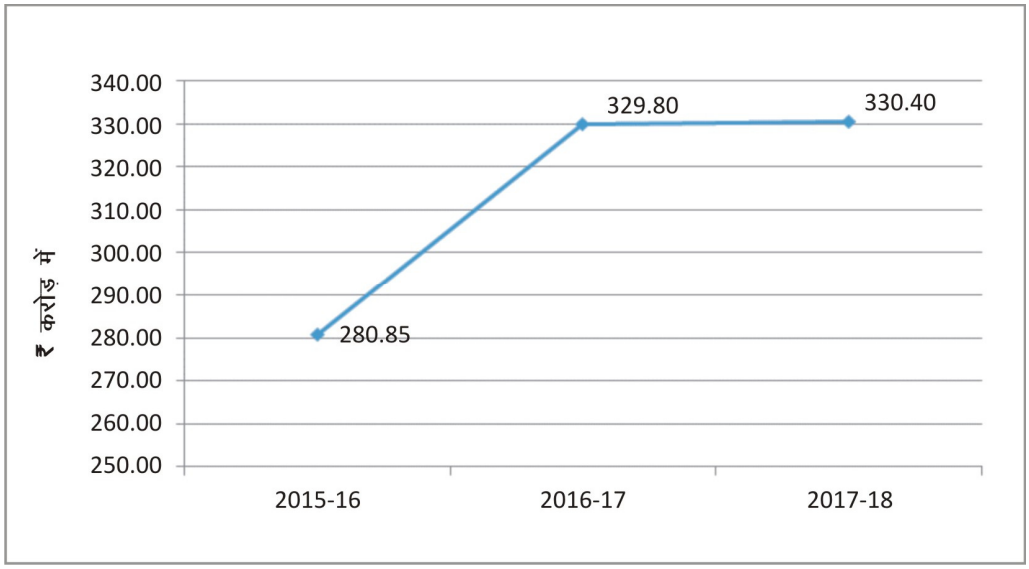

इन शामिल उपक्रमों द्वारा 2015–16 में अर्जित लाभ ₹ 280.85 करोड़ से बढकर 2017–18 में ₹ 330.40 करोड़ हो गये। इस प्रतिवेदन में शामिल 38 उपक्रमों के नवीनतम अद्यतन अंतिमीकृत लेखों के अनुसार 18 उपक्रमों ने ₹ 380.01 करोड़ का लाभ अर्जित किया एवं आठ उपक्रमों ने ₹ 49.61 करोड़ की हानि वहन की जिसका विवरण ***परिशिष्ट 3.1*** में दिया गया है।

3.13.1 लाभ अर्जित करने वाली कम्पनियो की संख्या 2016–17 में 22 की तुलना में 2017–18 में 18 थी। अर्जित लाभ वर्ष 2016–17 में ₹ 329.80 करोड़ से बढ़कर 2017–18 में ₹ 330.40 करोड़ हो गया। वर्ष 2017–18 के दौरान लाभ अर्जित करने वाले उपक्रमों का क्षेत्रवार सारांश तालिका 3.9 में दिया गया है।

तालिका 3.9: उपक्रमों की क्षेत्रवार लाभप्रदता

क्षेत्र	लाभ अर्जित करने वाले उपक्रमों की संख्या	(₹ करोड़ में)	
		कर पश्चात लाभ	*कुल कर पश्चात लाभ में लाभ का प्रतिशत*
एकाधिकार क्षेत्र के सरकारी उपक्रम	02	154.86	40.75
सुनिश्चित आय वाले सरकारी उपक्रम	14	218.81	57.58
प्रतिस्पर्धात्मक क्षेत्र के सरकारी उपक्रम	02	6.34	1.67
योग	**18**	**380.01**	**100.00**

स्रोत: *सरकारी उपक्रमो के अद्यतन अंतिमीकृत वार्षिक लेखों के आधार पर संकलित ।*

उपरोक्त तालिका से देखा जा सकता है कि 18 में से 16 उपक्रमों ने 98.33 *प्रतिशत* लाभ (₹ 373.67 करोड़) अर्जित किया जो कि या तो एकाधिकार लाभप्रदता अथवा बजटीय सहायता, सेंण्टेज, कमीशन, बैंक जमा पर ब्याज इत्यादि के रूप में सुनिश्चित आय के कारण थी।

इस प्रकार लेखापरीक्षा के मत में इन सार्वजनिक उपक्रमों की संपोषणीयता राज्य पर आश्रित है।

निवेश के वर्तमान मूल्य के आधार पर वास्तविक प्रतिफल :–

3.14 राज्य के उन 18 उपक्रमों (इस प्रतिवेदन में शामिल) जिनमें राज्य शासन द्वारा निधि का निवेश किया गया था, के लाभप्रदता के आंकलन के लिये आमदनी की तुलना में निवेश का एक विश्लेषण किया गया है। प्रतिफल की परम्परागत गणना केवल ऐतिहासिक लागत के आधार पर होने के कारण निवेश पर प्रतिफल की पर्याप्तता का सही सूचक नही है क्योकि इस प्रकार की गणना निधि के वर्तमान मूल्य की उपेक्षा करती है। इसलिए, धन के वर्तमान मूल्य को ध्यान में रखते हुए निवेश पर वास्तविक प्रतिफल की भी गणना की गई है। राज्य शासन के निवेश जहां राज्य शासन द्वारा अंशपूंजी, ब्याजमुक्त/न चुकाए ऋण और पुंजीगत अनुदान के रूप में इन कंपनियों में 2000–01 से 31 मार्च 2018 के अंत तक निधियों का निवेश किया गया, की गणना वर्तमान मूल्य पर की गई। इसलिए इन वर्षो के लिए निवेश के वास्तविक प्रतिफल की गणना व अभिव्यक्ति वर्तमान मूल्य के आधार पर की गई है। वर्ष 2000–01 से 2017–18 की अवधि में 2013–14 से 2017–18 के मध्य इन उपक्रमों का निवेश पर प्रतिफल सकारात्मक /नकारात्मक रहा। अतः इन वर्षों में निवेश पर वास्तविक प्रतिफल की गणना वर्तमान मूल्य के आधार पर करके दर्शायी गई है ।

राज्य शासन के इन उपक्रमों में निवेश के वर्तमान मूल्य की गणना निम्नलिखित धारणाओं पर की गई है:–

- ऋण को राज्य शासन द्वारा किए गए निधि का निवेश माना गया है। हालांकि, उपक्रमों द्वारा ऋणो के पुनर्भुगतान के मामले में, वर्तमान मूल्य की गणना उक्त अवधि में ऋणो के घटे हुए शेषों पर की गई है। अनुदान/सब्सिडी के रूप में दी गई निधि, पुंजीगत अनुदान को छोडकर, को निवेश नही माना गया है क्योकि वह निवेश मानने योग्य नही है।

- संबंधित वित्तीय वर्ष[14] के लिए राज्य शासन की निधि की वर्तमान मूल्य की गणना करने के उद्देश्य से सरकारी उधारियों पर ब्याज की औसत दर को छूट दर के रूप में अपनाया गया है क्योकि यह वर्ष के लिए निवेश की गई निधि पर शासन द्वारा वहन की गई लागत को दर्शाती है एवं इस प्रकार शासन द्वारा किये गए निवेश पर न्यूनतम अपेक्षित दर के रूप में अपनाई जा सकती है।

3.15 राज्य शासन द्वारा इन 18 उपक्रमों में वर्ष 2000–01 से 2017–18 की अवधि में ऐतिहासिक लागत के आधार पर अंशपूंजी, ब्याज मुक्त/न चुकाए ऋण और पुंजीगत अनुदान के रूप में किया गया उपक्रमवार निवेश ***परिशिष्ट 3.6*** में दर्शाया गया है। आगे, इसी अवधि के लिए इन उपक्रमों से संबंधित राज्य शासन के निवेश के शुद्व वर्तमान मूल्य की समेकित स्थिति तालिका 3.10 में दी गई है।

[14] सरकारी ऋणों पर औसत ब्याज दर, संबन्धित वर्ष के भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक के राज्य वित्त (मध्य प्रदेश सरकार) पर प्रतिवेदन से लिया गया है, जहां पर ब्याज भुगतान की औसत दर = ब्याज भुगतान/ [(विगत वर्ष की राजकीय देनदारियाँ + वर्तमान वर्ष की राजकोषीय देनदारियाँ)/2]*100।

तालिका 3.10: शासन द्वारा वर्ष 2000–01 से 2017–18 की अवधि में किए गए निवेश एवं उसके वर्तमान मूल्य का वर्षवार विवरण

(₹ करोड़ में)

वित्तीय वर्ष	वर्ष के आरंभ मे कुल निवेश का वर्तमान मूल्य	वर्ष के दौरान राज्य सरकार द्वारा निवेशित अंशपूंजी	वर्ष के दौरान राज्य सरकार द्वारा निवेशित ब्याज मुक्त / न चुकाए ऋण और पूंजीगत अनुदान[15]	वर्ष के दौरान कुल निवेश	सरकारी ऋणों पर औसत ब्याज दर (प्रतिशत मे)	वर्ष के अंत मे कुल निवेश	वर्ष के अंत मे कुल निवेश का वर्तमान मूल्य	निवेश की वार्षिक लागत वसूल करने हेतु न्यूनतम अपेक्षित प्रतिफल	वर्ष की कुल आय[16]
i	ii	iii	iv	v=iii+iv	vi	vii=ii+v	viii={vii *(1+ vi)/100}	ix={vii* vi)/100}	x
2000-01	224.62	4.00	-16.13	-12.13	9.94	212.49	233.61	21.12	6.13
2001-02	233.61	-4.10	-25.13	-29.23	9.19	204.38	223.16	18.78	19.01
2002-03	223.16	17.42	16.46	33.88	8.81	257.05	279.69	22.65	9.22
2003-04	279.69	1.79	-47.40	-45.61	9.41	234.08	256.11	22.03	0.70
2004-05	256.11	12.30	-	12.30	8.96	268.41	292.46	24.05	33.78
2005-06	292.46	11.89	58.57	70.46	7.33	362.92	389.52	26.60	40.73
2006-07	389.52	174.38	0.38	174.76	7.86	564.28	608.63	44.35	93.50
2007-08	608.63	65.00	-58.50	6.50	7.72	615.13	662.62	47.49	91.17
2008-09	662.62	16.20	-	16.20	7.24	678.82	727.96	49.15	67.60
2009-10	727.96	6.00	15.69	21.69	6.94	749.65	801.68	52.03	124.97
2010-11	801.68	26.38	-2.10	24.28	7.07	825.96	884.36	58.40	141.55
2011-12	884.36	10.00	9.45	19.45	6.91	903.81	966.26	62.45	156.03
2012-13	966.26	-15.38	72.89	57.51	6.75	1,023.77	1,092.87	69.10	221.73
2013-14	1,092.87	30.00	90.43	120.43	6.69	1,213.30	1,294.47	81.17	287.49
2014-15	1,294.47	94.28	136.32	230.60	6.73	1,525.07	1,627.71	102.64	324.23
2015-16	1,627.71	41.72	73.76	115.48	6.86	1,743.19	1,862.77	119.58	366.79
2016-17	1,862.77	-50.73	1,349.49	1,298.76	6.72	3,161.53	3,373.99	212.46	343.39
2017-18	3,373.99	160.00	-2.73	157.27	6.67	3,531.26	3,766.79	235.53	287.96
योग		**601.15**	**1,671.45**	**2,272.60**					

राज्य शासन द्वारा इन उपक्रमों में किये गये निवेश का शेष वर्ष 2000–01 के ₹ 224.62 करोड़ से बढ़कर 2017–18 के अन्त में ₹ 2,497.22 करोड़ हो गया क्योंकि राज्य शासन ने अंशपूंजी (₹ 601.15 करोड़) और ऋण/पूंजीगत अनुदान (₹ 1,671.45 करोड़) के रूप में 2000–01 से 2017–18 की अवधि में निवेश किया। 31 मार्च 2018 तक राज्य शासन द्वारा निवेशित की गई निधि का वर्तमान मूल्य ₹ 3,766.79 करोड़ था। वर्ष 2000–01 से 2003–04 के दौरान, इन कम्पनियों में कुछ लाभ कमाया, हालांकि कुल आय इन उपक्रमों में निवेशित निधियों की लागत की वसूली के लिए न्यूनतम अपेक्षित प्रतिफल से कम रही। वर्ष 2004–05 के बाद, इन कम्पनियो ने इस अवधि के दौरान निवेशित निधियों की लागत को वसूल करने के लिए पर्याप्त लाभ अर्जित करना शुरू कर दिया क्योंकि आठ[17] कम्पनियों ने पर्याप्त लाभ कमाया।

[15] इस कालम में दर्शाए नकारात्मक ऋण आंकड़े संबन्धित वर्ष में शासकीय उपक्रमों द्वारा राज्य सरकार को चुकाए गए ऋणों को इंगित करते है।

[16] वर्ष की कुल आय उन 18 शासकीय उपक्रमों (ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त) जिनमें राज्य सरकार द्वारा धन निवेश किया गया है कि शुद्ध आय (लाभ/हानि) का योग दर्शाता है। जिन वर्षो में किसी उपक्रम के वार्षिक लेखे बकाया थे उस वर्ष हेतु संबन्धित उपक्रम की शुद्ध आय (लाभ/हानि) अध्यतन लेखा परीक्षित लेखों से ली गयी है।

[17] म.प्र.रा.व.वि.नि.लि., म.प्र.रा.ख.वि.नि.लि., म.प्र.ल.उ.नि.लि., दि.प्रॉ.इ.कं.लि., म.प्र.स.वि.नि.लि., म.प्र.ट्रे.इ.फै.नि.लि, म.प्र.वे.लॉ. नि. और म.प्र.पु.हा.नि.लि. ।

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की अंशपूंजी पर प्रतिफल

3.16 अंशपूंजी पर प्रतिफल (आर.ओ.ई.)[18] कम्पनियों के वित्तीय प्रर्दशन को मापने की एक इकाई है जिसकी गणना शुद्ध आय को अंशधारकों की अंशपूंजी से विभाजित करके की जाती है। उपक्रमों की क्षेत्रवार आर.ओ.ई. को तालिका 3.11 में दर्शाया गया है:–

तालिका 3.11: क्षेत्रवार अंशपूंजी पर प्रतिफल

क्र. सं.	क्षेत्र	2015–16 में आर.ओ.ई.		2016–17 में आर.ओ.ई.		2017–18 में आर.ओ.ई.	
		उपक्रमों की संख्या	आर.ओ.ई.	उपक्रमों की संख्या	आर.ओ.ई.	उपक्रमों की संख्या	आर.ओ.ई.
1	एकाधिकार क्षेत्र के सरकारी उपक्रम	3	31.51	03	21.79	3	20.33
2	सुनिश्चित आय वाले सरकारी उपक्रम	20	11.18	25	11.78	25	12.52
3	प्रतिस्पर्धात्मक क्षेत्र के सरकारी उपक्रम	2	10.34	2	3.56	3	(–) 1.12
	योग	**25**		**30**		**31**	

यह देखा जा सकता है कि पिछले तीन वर्षो के दौरान प्रतिस्पर्धात्मक क्षेत्र के उपक्रमों का आर.ओ.ई., एकाधिकार/सुनिश्चित आय क्षेत्र के उपक्रमों की तुलना में काफी कम है। प्रतिस्पर्धात्मक क्षेत्र का आर.ओ.ई. 2017–18 में म.प्र. वित्त निगम द्वारा वहन की गई ₹ 11.39 करोड़ की हानि के कारण नकारात्मक रहा।

यह दर्शाता है कि प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण में काम करने वाले उपक्रम स्व–संपोषणीय नही है।

नियोजित पूंजी पर प्रतिफल

3.17 नियोजित पूंजी पर प्रतिफल (आर.ओ.सी.ई.) एक अनुपात है जो कम्पनी की लाभप्रदता एवं दक्षता जिसके साथ उसकी पूंजी उपयोग की गई है को मापता है। आर.ओ.सी.ई. की गणना ब्याज और कर से पहले की कुल अर्जित आय (ई.बी.आई.टी.) को नियोजित पूंजी[19] से विभाजित कर की जाती है। वर्ष 2015–16 से 2017–18 की अवधि के दौरान 38 उपक्रमों (इस प्रतिवेदन में शामिल) को आर.ओ.सी.ई. का विवरण तालिका 3.12 में दिया गया है :–

तालिका 3.12: नियोजित पूंजी पर प्रतिफल

वर्ष	ब्याज व कर पूर्व आय (₹ करोड़ में)	नियोजित पूंजी (₹ करोड़ में)	नियोजित पूंजी पर प्रतिफल (% में)
2015–16	391.36	4,896.38	7.99
2016–17	592.83	5,959.63	9.95
2017–18	503.39	5,709.65	8.82

यह पाया गया है कि वर्ष 2015–16 से वर्ष 2017–18 की अवधि में आर.ओ.सी.ई. 7.99 *प्रतिशत* और 9.95 *प्रतिशत* के मध्य था।

हानि वहन करने वाले सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम

3.18 वर्ष 2017–18 के दौरान आठ उपक्रम ऐसे थे, जिन्होने हानि वहन की। इन उपक्रमों द्वारा वहन की गई हानि वर्ष 2016–17 के ₹ 0.12 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2017–18 के दौरान ₹ 49.61 करोड़ हुई जैसा कि तालिका 3.13 में दिया गया है :–

---

[18] अंशपूंजी पर प्रतिफल = (कर व प्राथमिक लाभांश पश्चात शुद्ध लाभ/ पूंजी)*100 जहां पूंजी = प्रदत्त पूंजी + ऋण + मुक्त कोष – संचित हानि – आस्थगित राजस्व व्यय ।

[19] नियोजित पूंजी = प्रदत्त अंश पूंजी + मुक्त कोष व आधिक्य + दीर्घावधि ऋण – संचित हानि – आस्थगित राजस्व व्यय ।

तालिका 3.13: वर्ष 2015–16 से वर्ष 2017–18 के दौरान हानि वहन करने वाले उपक्रमों की संख्या

वर्ष	हानि वहन करने वाले उपक्रमों की संख्या	वर्ष की शुद्ध हानि (₹ करोड़ में)	संचित हानि (₹ करोड़ में)	नेट वर्थ[20] (₹ करोड़ में)
एकाधिकार क्षेत्र के सरकारी उपक्रम				
2015–16	0	0.00	0	0
2016–17	0	0.00	0	0
2017–18	1[21]	0.12	5.31	105.31
सुनिश्चित आय वाले सरकारी उपक्रम				
2015–16	4	76.53	185.03	378.91
2016–17	2	0.12	5.44	7.49
2017–18	6	38.10	60.83	142.71
प्रतिस्पर्धात्मक क्षेत्र के सरकारी उपक्रम				
2015–16	1	88.67	–90.02	–28.80
2016–17	0	0.00	0.00	0.00
2017–18	1	11.39	12.09	418.19

तीन वर्षों में 10 उपक्रमों द्वारा वहन की गई कुल हानि ₹ 214.93 करोड़ में से, ₹ 0.12 करोड़ की हानि एकाधिकार क्षेत्र के एक उपक्रम द्वारा बाजार की प्रतिस्पर्धा के लिए खुला न होने के बावजूद उठानी पडी। यह इस कम्पनी की संपोषणीयता पर प्रतिकूल प्रभाव दर्शाता है। म.प्र. जेपी मिनरल्स को वर्ष 2017–18 के दौरान कोई हानि नही हुई परंतु 2017–18 के दौरान उसकी संचित हानि ₹ 149.67 करोड़ थी। संचित हानि के फलस्वरूप उपक्रम की नेट वर्थ नकारात्मक थी।

नवीनतम अंतिमीकृत लेखों के अनुसार वर्ष 2017–18 में ₹ 10 करोड़ से ज्यादा की हानि वहन करने वाले राज्य के उपक्रमों की सूची तालिका 3.14 में दी गई है :–

तालिका 3.14: ₹ 10 करोड़ से ज्यादा की हानि वहन करने वाले उपक्रमों की सूची

क्र.सं.	सार्वजनिक उपक्रम का नाम	निवल हानि (₹ करोड़ में)
1	मध्य प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम मर्यादित (2016–17)	27.24
2	मध्य प्रदेश वित्त निगम	11.39

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के निवल मूल्य का क्षरण

3.19 31 मार्च 2018 तक पाच[22] उपक्रम ऐसे थे, जिनकी संचित हानि ₹ 161.66 करोड़ थी। इन पांच उपक्रमों में से, वर्ष 2017–18 के दौरान एक उपक्रम ने ₹ 3.89 करोड़ की हानि वहन की और चार उपक्रमों को वर्ष 2017–18 में हानि नहीं हुई जबकि इनकी संचित हानि ₹ 158.82 करोड़ थी।

38 शामिल उपक्रमों में से तीन[23] उपक्रमों का निवल मूल्य संचित हानि से पूरी तरह समाप्त हो गया था और उनका निवल मूल्य या तो शून्य या नकारात्मक था। 31 मार्च 2018 को इन तीन उपक्रमों में निवेशित अंशपूंजी ₹ 62.49 करोड़ के विरूद्ध निवल मूल्य ₹ (-) 91.21 करोड़ था। (***परिशिष्ट – 3.1***)

इस प्रतिवेदन के शामिल किए गए 38 उपक्रमों में से एक[24] उपक्रम का निवल मूल्य उसकी प्रदत्त पूंजी के आधे से भी कम था, जिसका निवल मूल्य 31 मार्च 2018 की समाप्ति पर धनात्मक था, जो उनकी संभावित वित्तीय कमजोरी को दर्शाता है।

---

20 नेट वर्थ से आशय है प्रदत्त पूंजी और मुक्त कोष व आधिक्य का योग जिसमें से संचित हानि और आस्थगित राजस्व व्यय घाटा दिया गया। मुक्त कोष वह सभी कोष है जो लाभ और शेयर प्रीमियम से बने होते हैं परन्तु सम्पत्तियों के पुनर्मुल्यांकन और मूल्यहास प्रावधानों के राइट बैक से बनाए गए कोष इसमे शामिल नहीं होते।

21 म.प्र. जल निगम मर्यादित अभी निर्माणाधीन है और इसने 2017–18 तक व्यापार आरंभ नहीं किया।

22 म.प्र. अर्बन डेव. कॉर्प. लि., म.प्र. पी.सी.सी.एल., पीथमपुर ऑटो क्लस्टर लि., म.प्र. जे.पी.मिनरल्स लि., म.प्र. होटल कॉर्प. लि.।

23 म.प्र. अर्बन डेव. कॉर्प. लि., म.प्र. जे.पी. मिनरल्स लि., और म.प्र. प्लास्टिक सिटी डेव. कॉर्प. लि.।

24 पीथमपुर ऑटो क्लस्टर लि.।

लाभांश का भुगतान

3.20 राज्य शासन ने लाभांश नीति (जुलाई 2005) तैयार की जिसके तहत सभी लाभ अर्जित करने वाले उपक्रमों को कर के बाद लाभ का 20 *प्रतिशत* न्यूनतम प्रतिफल भुगतान करना था।

17 उपक्रमों (इस प्रतिवेदन में शामिल), जिनमें राज्य शासन द्वारा अवधि के दौरान अंशपूंजी का निवेश किया था, द्वारा लाभांश के भुगतान को तालिका 3.15 में दर्शाया गया है:–

तालिका 3.15 वर्ष 2015–16 से 2017–18 तक 17 उपक्रमों (ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त) द्वारा लाभांश का भुगतान

(₹ करोड़ में)

वर्ष	शासकीय उपक्रम जिनमें म. प्र. शासन ने पूंजी निवेश किया		शासकीय उपक्रम जिन्होने वर्ष के दौरान लाभ अर्जित किया		शासकीय उपक्रम जिन्होने वर्ष के दौरान लाभांश घोषित/ प्रदान किया		लाभांश भुगतान अनुपात (%)
	शासकीय उपक्रमों की संख्या	म.प्र. शासन द्वारा पूंजी निवेश	शासकीय उपक्रमों की संख्या	म.प्र. शासन द्वारा पूंजी निवेश	शासकीय उपक्रमों की संख्या	म.प्र. शासन द्वारा पूंजी निवेश	
1	2	3	4	5	6	7	8=7/5*100
2015–16	16	545.13	14	354.15	2	12.10	3.41
2016–17	17	600.13	14	337.69	4	43.38	12.85
2017–18	17	714.13	12	374.70	6	45.63	12.18

वर्ष 2015–16 से 2017–18 के दौरान, उन उपक्रमों जिन्होने लाभ अर्जित किया, की संख्या 12 और 14 उपक्रमों के मध्य थी। इस अवधि के दौरान, वे उपक्रम जिन्होने राज्य शासन को लाभांश की घोषणा/ भुगतान किया की संख्या दो और छः उपक्रमों के मध्य थी।

वर्ष 2015–16 से 2017–18 के दौरान लाभांश भुगतान अनुपात केवल 3.41 *प्रतिशत* से 12.85 *प्रतिशत* के मध्य था। आगे के विश्लेषण से पता चलता है कि उपक्रमों ने लाभांश की घोषणा/ भुगतान और लाभांश भुगतान अनुपात को वर्ष 2015–16 के 3.41 *प्रतिशत* से बढ़ाकर 2017–18 में 12.18 *प्रतिशत* कर दिया।

वर्ष 2017–18 के दौरान लाभांश की घोषणा/ भुगतान करने वाले छः उपक्रमों में से एक[25] उपक्रम ने निर्धारित सीमा से अधिक लाभांश की घोषणा की, जबकि दो[26] उपक्रमों ने निर्धारित सीमा से कम लाभांश की घोषणा की और तीन[27] उपक्रमों ने लाभांश नीति के अनुसार लाभांश की घोषणा की।

सार्वजनिक क्षेत्र के दीर्घावधि ऋण का विश्लेशण (ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त)

3.21 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम जिनमें वर्ष 2015–16 से 2017–18 के दौरान ऋण थे, के दीर्घावधि ऋणों का विश्लेषण, कम्पनियों द्वारा शासन, बैंक एवं अन्य वित्तीय संस्थाओं के ऋणों का भुगतान करने के लिए कम्पनी की क्षमता का आंकलन करने के लिए, किया गया। इसका मूल्यांकन ब्याज व्याप्ति अनुपात से किया गया है।

ब्याज व्याप्ति अनुपात

3.22 ब्याज व्याप्ति अनुपात का उपयोग किसी कम्पनी के बकाया ऋण पर ब्याज का भुगतान करने की क्षमता का निर्धारण करने के लिए किया जाता है एवं इसकी गणना कम्पनी की ब्याज एवं करों से पूर्व की आय (ई.बी.आई.टी.) को उसी अवधि के ब्याज खर्चो से विभाजित करके की जाती है। अनुपात जितना कम होगा, उपक्रम की ऋण पर

[25] म.प्र.रा.एग्रो.इंड.डेव.कॉर्प.लि.।
[26] म.प्र.वे.लॉ.कॉर्प. और म.प्र.पु.हा.कॉर्प.लि.।
[27] म.प्र.रा.व.वि.नि.लि., म.प्र.रा.ख.नि.लि. और म.प्र.ल.उ.नि.लि.।

ब्याज का भुगतान करने की क्षमता उतनी ही कम होगी। एक से कम का ब्याज व्याप्ति अनुपात बताता है कि कम्पनी ब्याज पर अपने व्ययों को पूरा करने के लिए पर्याप्त राजस्व उत्पन्न नही कर रही है। वर्ष 2015–16 से 2017–18 की अवधि के दौरान उपक्रमों, जिनका ऋण बकाया है और इस प्रतिवेदन में शामिल है, के धनात्मक एवं ऋणात्मक ब्याज व्याप्ति अनुपात का विवरण तालिका 3.16 में दिया गया है:–

तालिका 3.16 :– कार्यशील उपक्रमों (ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त), जिनकी ऋण की देयता है, का ब्याज व्याप्ति अनुपात

वर्ष	ब्याज (₹ करोड़ में)	ब्याज एवं करों पूर्व आय (ई.बी.आई.टी.) (₹ करोड़ में)	शासकीय उपक्रमों की संख्या जिन पर ऋणों का दायित्व है	शासकीय उपक्रमों की संख्या जिनका ब्याज व्याप्ति अनुपात एक से अधिक है	शासकीय उपक्रमों की संख्या जिनका ब्याज व्याप्ति अनुपात एक से कम है
2015–16	96.17	224.75	16	10	6[28]
2016–17	122.70	16.06	15	12	3[29]
2017–18	84.32	106.71	15	11	4[30]

वर्ष 2017–18 के दौरान राज्य के 15 उपक्रम (ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त), जिनमें ऋण की देयता थी, में से 11 उपक्रमों का ब्याज व्याप्ति अनुपात एक से अधिक था जबकि चार उपक्रमों का ब्याज व्याप्ति अनुपात एक से कम था जो यह दर्शाता है कि ये चार उपक्रम अवधि के दौरान पर्याप्त राजस्व का अर्जन नही कर पा रहे थे। राज्य शासन से म. प्र. स्टेट सिविल सप्लाईज कारपोरेशन एवं म. प्र. ट्रेड एण्ड इन्वेस्टमेंट फेसिलिटेशन कारपोरेशन को ब्याज मुक्त दीर्घावधि ऋण प्राप्त हुआ।

राज्य के उपक्रमों के लेखों पर टिप्पणियां (ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त)

3.23 01 जनवरी 2018 से 31 दिसम्बर 2018 की अवधि के दौरान 33 कार्यशील कम्पनियों ने कुल 41 लेखापरीक्षित लेखे, महालेखाकार को अग्रेषित किए। इनमें से, 39 लेखें अनुपूरक लेखापरीक्षा हेतु चयनित किए गए। सांविधिक लेखापरीक्षको के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन एवं सीएजी द्वारा अनुपूरक लेखापरीक्षा इंगित करती है कि लेखो के रखरखाव की गुणवत्ता में काफी हद तक सुधार की आवश्यकता है। सांविधिक लेखापरीक्षकों एवं सीएजी की टिप्पणियों के एकीकृत मौद्रिक मूल्य का विवरण तालिका 3.17 में दिया गया है:–

तलिका 3.17 कार्यशील कम्पनियों पर लेखापरीक्षा टिप्पणियों का प्रभाव (ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त)

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	2015–16		2016–17		2017–18	
		लेखों की संख्या	राशि	लेखों की संख्या	राशि	लेखों की संख्या	राशि
1.	लाभ में कमी	7	168.64	11	446.68	02	0.27
2.	लाभ में बढ़त	–	–	–	–	–	–
3.	हानि में बढ़त	2	–1,410.37	3	–1.52	02	0.74
4.	हानि में कमी	.	.	.	.	01	0.12
5.	अव्यक्त महत्वपूर्ण तथ्य	5	26.54	3	1.87	01	107.02
6.	वर्गीकरण की त्रुटियाँ	10	221.35	6	36.11	07	521.14

स्रोत: *शासकीय कंपनियों के विषय में सांविधिक लेखा परीक्षक/ सीएजी की टिप्पणियों से संकलित।*

वर्ष 2017–18 के दौरान, सांविधिक लेखापरीक्षको ने 17 लेखों पर मर्यादित प्रमाण पत्र जारी किये। उपक्रमों द्वारा लेखांकन मानकों की अनुपालना कमजोर रही क्योकि 11

[28] म.प्र.औ.के.वि.नि. (इंदौर) लि., म.प्र.औ.के.वि.नि. (उज्जैन) लि., म.प्र.जे.मि.लि., म.प्र.सै.मा.लि., म.प्र.रा.सि.स.कॉर्प.लि. और अटल इ.सि.ट्रा.कॉर्प.लि.।

[29] म.प्र.औ.के.वि.नि. (इंदौर) लि., म.प्र.औ.के.वि.नि. (रीवा) लि. और म.प्र.जे.मि.लि.।

[30] म.प्र.औ.के.वि.नि. (इंदौर) लि., म.प्र.प्ला.सि.डेव.कॉर्प. (ग्वालियर) लि.,म.प्र.रा.सि.स.कॉर्प.लि. और म.प्र.वि.नि.।

लेखों में सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा लेखांकन मानकों की अनुपालना नही करने के 23 मामले इंगित किए गए।

3.24 राज्य में तीन सांविधिक निगम है अर्थात 1. मध्य प्रदेश सड़क परिवहन निगम (म.प्र.रा.स.प.नि.), 2. मध्य प्रदेश वित्त निगम (म.प्र.वि.नि.), 3. मध्य प्रदेश वेयरहाउसिंग एवं लाजिस्टिक कारपोरेशन (म.प्र.व.ला.क.), अकार्यशील निगम जैसे– म.प्र.रा.स.प.नि., के सन्दर्भ में सी एजी एकमात्र लेखापरीक्षक है।

दोनो कार्यशील सांविधिक निगमों द्वारा, उनके वर्ष 2017–18 के लेखे अग्रेषित किए गए। दोनो लेखो का चयन अनुपूरक लेखापरीक्षा हेतु किया गया।

सांविधिक लेखापरीक्षकों एवं सीएजी की पूरक लेखापरीक्षा टिप्पणियों के एकीकृत मौद्रिक मूल्य का विवरण तालिका 3.18 में दिया गया है।

तालिका 3.18: सांविधिक निगमों पर लेखापरीक्षा टिप्पणियों का प्रभाव

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	2015–16		2016–17		2017–18	
		लेखों की संख्या	राशि	लेखों की संख्या	राशि	लेखों की संख्या	राशि
1.	लाभ में कमी	1	1.54	2	7.04	-	-
2.	लाभ में बढ़त	-	-	-	-	-	-
3.	हानि में बढ़त	-	-	-	-	1	17.51
4.	हानि में कमी	-	-	-	-	-	-
5.	अव्यक्त महत्वपूर्ण तथ्य	-	-	-	-	-	-
6.	वर्गीकरण की त्रुटियाँ	1	17.23	-	-	1	103.31

स्रोत: *सांविधिक निगमों के विषय में सांविधिक लेखा परीक्षक/सीएजी की टिप्पणियों से संकलित।*

निष्पादन लेखापरीक्षा और अनुपालन लेखापरीक्षा कंडिका

3.25 31 मार्च 2018 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षा (सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम) प्रतिवेदन के लिए, एक निष्पादन लेखापरीक्षा व एक अनुपालन लेखापरीक्षा कंडिका संबंधित प्रशासनिक विभाग के प्रमुख सचिव को जारी की गई तथा चार सप्ताह में जवाब भेजने का आग्रह किया गया। अनुपालन लेखापरीक्षा कंडिका के संबंध में राज्य शासन द्वारा जवाब प्राप्त हुए। तथापि, निष्पादन लेखापरीक्षा के लिए जवाब प्राप्त नही हुए।

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन पर अनुवर्ती कार्यवाही

बकाया उत्तर

3.26 भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन लेखापरीक्षा समीक्षा की प्रक्रिया का सार है। अतः यह आवश्यक है कि इन पर कार्यपालिका से उचित एवं समयबद्ध उत्तर प्राप्त किया जाये। मध्य प्रदेश शासन के वित्त विभाग ने सभी प्रशासनिक विभागों को भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन में सम्मिलित की गई कंडिकाओ/ निष्पादन लेखापरीक्षाओं पर प्रतिवेदन के विधायिका के समक्ष प्रस्तुतीकरण से तीन माह की अवधि में, सरकारी उपक्रम समिति (कोपू) से किसी प्रश्नसूची की प्रतीक्षा किये बिना, निर्धारित प्रारूप में जवाब/ व्याख्यात्मक टिप्पणियॉ प्रस्तुत करने के निर्देश (मई 2016) जारी किए थे।

31 दिसम्बर 2018 को वर्ष 2016–17 के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के छ कंडिकाओ में से दो कंडिकाओं पर विभाग से जवाब/ व्याख्यात्मक टिप्पणियॉ अप्राप्त थे।

सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति (स.उ.सं.स.) द्वारा लेखापरीक्षा प्रतिवेदन पर चर्चा

3.27 30 सितम्बर 2019 की स्थिति में उपक्रमों (ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त) से संबंधित निष्पादन लेखापरीक्षा एवं कंडिकाओं जो कि लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (पी.एस.यू.) में शामिल हुई है, पर कोपू द्वारा की गई चर्चा की स्थिति निम्नानुसार है।

तालिका 3.19: 30 दिसम्बर 2019 की स्थिति में लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में सम्मिलित की तुलना में चर्चा की गई कंडिकाओं / निष्पादन लेखापरीक्षा की स्थिति

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन वर्ष	कंडिकाओं / निष्पादन लेखापरीक्षाओं की संख्या			
	प्रतिवेदन में सम्मिलित		कंडिका जिन पर चर्चा की गई	
	निष्पादन लेखापरीक्षा	कंडिका	निष्पादन लेखापरीक्षा	कंडिका
2015–16	2	9	-	9
2016–17	-	5	-	-

स्रोत: *कोपू के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन पर चर्चा के आधार पर संकलित।*

कोपू का अनुपालन प्रतिवेदन

3.28 वर्ष 1973–74 से 2011–12 तक विधानसभा में राज्य उपक्रमों से संबंधित (ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त) कोपू की 41 कार्यवाही प्रतिवदेन (ए.टी.एन.) अप्राप्त थी जो आगे तालिका 3.20 में इंगित है।

तलिका 3.20: स.उ.सं.स. के प्रतिवेदनों का अनुपालन

स.उ.सं.स. के प्रतिवेदन का वर्ष	स.उ.सं.स. के प्रतिवेदनों की संख्या	स.उ.सं.स.के प्रतिवेदनों में सिफारिशों की संख्या	सिफारिशों की संख्या जिन पर कार्यवाही प्रतिवदेन प्राप्त नहीं हुए
2003–04 तक	14	625	108
2004–05	7	132	41
2005–06	5	89	29
2006–07	3	82	15
2007–08	1	23	14
2008–09	1	26	26
2010–11	7	38	14
2011–12	3	3	3
योग	**41**	**1018**	**250**

स्रोत: *स.उ.सं.स. की सिफारिशों पर म.प्र. शासन के संबंधित विभाग से प्राप्त कार्यवाही प्रतिवेदन के आधार पर संकलित।*

कोपू की उपर्युक्त प्रतिवेदन में 10 विभागों से संबंधित सिफारिशे थी जो कि भारत के सीएजी के प्रतिवेदन 1973–74 से 2011–12 में शामिल थी।